न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

A-4/1

पीठासीन अधिकारी :– दिनेश कुमार यादव

आई.ए.एस.

अपील संख्या 85 / 17

महेन्द्र सिहं पुत्र श्री हनुमान सिहं जाति जाट निवासी किढवाना तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनू

–– अपीलान्ट्

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ़, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू

–– रेस्पोडेन्ट्

––

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.07.2017 न्यायालय तहसीलदार सूरजगढ़ उनवानी सरकार बनाम महेन्द्र सिहं वगैरह, मु0न0 60 / 2017 अ.धारा 91 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम

––

उपस्थितः–

श्री मुश्ताक अली –एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से
श्री श्रवण कुमार सैनी – राजकीय अभिभाषक

आदेश

दिनांक 06.09.2017

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार सूरजगढ़ के निर्णय दिनांक 20.07.2017 के विरूद्व मय स्थगन प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य निम्न प्रकार से हैः– अदालत मातहत में हल्का पटवारी ने गांव की आपसी पार्टीबाजी व प्रभावशाली व्यक्तिओं के दबाब में भूमि खसरा नम्बर 749 गै.मु. रास्ते पर अतिक्रमण की झुठी रिपोर्ट प्रस्तुत की अदालत मातहत ने अपीलांट को दिनांक 20.07.2017 को उपस्थित होने का नोटिस दिया अपीलांट अदालत मातहत में दिनांक 20.07.2017 से उपस्थित हुआ। अपीलांट ने जवाब नोटिस प्रस्तुत करने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा। परन्तु अदालत मातहत ने अपीलांट को न तो जवाब नोटिस प्रस्तुत करने का अवसर दिया और ना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। अदालत मातहत ने न्यायिक प्रकिया की पालना किये बिना एवं ज्यूडिशयल माईण्ड एप्लाई किये बिना ही निर्णय दिनांक 20.07.2017 प्रदान किया जो निरस्त योग्य है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही न्याय के प्राकृतिक सिन्द्धात की अवहेलना करते हुए निर्णय दिनांक 20. 07.2017 प्रदान किया है जो निरस्त होने योग्य है। वाके ग्राम किडवाना की शरहद में खसरा नम्बर 748 व 749 गैर मुमकीन रास्ता कभी मौजुद नहीं रहा है। गांव के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने गै.मु. रास्ता खसरा नम्बर 748, 749 गत खसरा नम्बर 342, 333, 331, 324, 325, 326 व 329 की भूमि में गत पैमाइश में कर्मचारी व अधिकारियों से अपने नाजायज प्रभाव में लेकर राजस्व रिकार्ड में नाजायज व गैर कानूनी तरीके से दर्ज करवा दिया है। उक्त तथा कथित गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 748 व 749 की बाबत पूर्व में थी प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा हल्का तत्कालीन खसरा नम्बर

जिला कलक्टर झुन्झुनू

A-4/2

748 गै.मु. रास्ते पर पटवारी से मिलकर अदालत मातहत में खसरा नम्बर 748 गै.मु. रास्ते पर अतिक्रमण की झुठी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर अदालत मातहत तहसीलदार चिड़ावा ने अपीलान्ट के पिता स्व. हनुमान के अलावा गांव खातेदारान को अ.धा. 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की अपीलान्ट के पिता स्व. हनुमान के विरूद्ध प्रकरण संख्या 188/92 में तथा अन्य प्रकरणों को तत्कालीन तहसीलदार महोदय चिड़ावा ने दिनांक 08.10.1992 को उक्त तमाम प्रकरणों 181/92 लगायत 186/92, 188 व 194 तथा 197 कुल 14 प्रकरणों से एक साथ निर्णित कर उक्त तमाम व्यक्तियों को अतिक्रमी नहीं मानते हुए अ.धा. 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 की कार्यवाही ड्रोप फरमाई गई। उक्त निर्णय दिनांक 08.10.1992 के विरूद्ध किढ़वाना गांव के ही बजरंगलाल पुत्र बल्लुराम जाट ने श्रीमान जी के न्यायालय में एक अपील उनवानी बजरंग लाल बनाम मुस्ताक खा वगैरह अपील संख्या 123/92 प्रस्तुत की जो दिनांक 21.02.1994 को श्रीमान जी द्वारा खारीज फरमा दी गई। अदालत मातहत ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय दिनांक 08.10.1992 के निर्णय के विपरित दिनांक 20.07.2017 को निर्णय प्रदान कर कानूनी भूल की। अदालत मातहत ने महज पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय दिनांक 20.07.2017 प्रदान किया है। चुंकि अपीलान्ट के पिता हनुमान के विरूद्ध पूर्व में अ.धा. 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण संख्या 188/92 की कार्यवाही ड्रोप हो चुकी है अब दुबारा कानून अपीलान्ट के विरूद्ध अ.धा. 91 राज. भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही रेसज्यूडिकेटा की श्रेणी में आने के कारण निरस्त होने योग्य है । विवादित रास्ता खसरा नम्बर 748 व 749 मौके पर कभी मौजूद नहीं रहा है न ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा है। गत सेटलमेन्ट में साजसी तरीके से उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड व नक्शे में गलत दर्ज करवाया है। अदालत मातहत अपीलान्ट को सुनवाई व अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं कर मनमाने तरीके से निर्णय दिनांक 20.07.2017 प्रदान किया है जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 20.07.2017 निरस्त फरमाया जावें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन है कि तहसीलदार चिड़ावा ने अपीलान्ट के पिता स्व. हनुमान के अलावा गांव खातेदारान को अ.धा. 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की अपीलान्ट के पिता स्व. हनुमान के विरूद्ध प्रकरण संख्या 188/92 में तथा अन्य प्रकरणों को तत्कालीन तहसीलदार महोदय चिड़ावा ने दिनांक 08.10.1992 को उक्त तमाम प्रकरणों 181/92 लगायत 186/92, 188 व 194 तथा 197 कुल 14 प्रकरणों से एक साथ निर्णित कर उक्त तमाम व्यक्तियों को अतिक्रमी नहीं मानते हुए अ.धा. 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 की कार्यवाही ड्रोप फरमाई गई। उक्त निर्णय दिनांक 08.10.1992 के विरूद्ध किढ़वाना गांव के ही बजरंगलाल पुत्र बल्लुराम जाट ने श्रीमान जी के न्यायालय में एक अपील उनवानी बजरंग लाल बनाम मुस्ताक खा वगैरह अपील संख्या 123/92 प्रस्तुत की जो दिनांक 21.02.1994 को श्रीमान जी द्वारा खारीज फरमा दी गई। अदालत मातहत ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय दिनांक 08.10.1992 के निर्णय के विपरित दिनांक 20.07.2017 को निर्णय प्रदान कर कानूनी भूल की। अदालत मातहत ने महज पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय दिनांक 20.07.2017 प्रदान किया है। चुंकि अपीलान्ट के पिता हनुमान के विरूद्ध पूर्व में अ.धा. 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण संख्या 188/92 की कार्यवाही ड्रोप हो चुकी है अब दुबारा कानून अपीलान्ट के विरूद्ध अ.धा. 91 राज. भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही रेसज्यूडिकेटा की श्रेणी में आने के कारण निरस्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश दिनांक 20.07.2017 को निरस्त फरमाया जावें। बहस के समर्थन में सूची दस्तावेजात किता 14 सहित पेश की।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस में निवेदन किया कि गैर सायल द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 में वर्णित प्रकृति का सिद्ध होता है। चूंकि प्रश्नगत अतिक्रमी भूमि कि किस्म गैर मुमकिन रास्ता होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 मे वर्णित प्रतिबन्धित भूमि होने एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डी. बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य में पारित

जिला कलक्टर झुन्झुनू

A-4/3

निर्णय दिनांक 02.08.2004 एवं माननीय सर्वोच्य न्यायालय नई दिल्ली द्वारा जगपाल सिहं व अन्य बनाम पंजाब राज्य में पारित निर्णय द्वारा प्रतिबन्धित होने से इस प्रकार की भूमियां नियमन योग्य नही हैं। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारिज फरमायी जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया अवलोकन से साफ जाहीर होता है कि अपीलान्ट के पिता स्व. हनुमान के विरूद्ध प्रकरण संख्या 188/92 में 91 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम की कार्यवाही ड्रोप फरमाई गई थी। तथा उक्त कार्यवाही के विरूद्ध उनवानी बजरंगलाल बनाम मुश्ताक खा वगैरह अपील संख्या 123/92 न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई थी। जो दिनांक 21.02.1994 को खारीज कर दी गई। चुंकि अपीलान्ट के पिता हनुमान के विरूद्ध पूर्व में अ.धा. 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण 188/92 की कार्यवाही ड्रोप हो चुकी है अब दुबारा कानून अपीलान्ट के विरूद्ध अ.धा. 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही रेसज्यूडिकेटा की श्रेणी में आने के कारण निरस्त होने योग्य है। गिरदावर तथा पटवारी द्वारा की गई रिपोर्ट दिनांक 18.08.17 में खसरा नम्बर 749 रकबा 0.25 हैक्टर रास्ता कभी भी चालु नहीं रहा है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकर की जाकर तहसीलदार सूरजगढ़ द्वारा पारीत आदेश दिनांक 20.07.2017 को निरस्त फरमाया जाता है। अपीलान्ट को हिदायद दी जाती है कि वह रिकार्ड दुरूस्ती हेतु सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत कर रिकार्ड को दुरूस्त करवाने की विधिसम्मत् कार्यवाही शीघ्रता से करे। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत पृथक से निर्णय पारित करने की आवश्यकता नहीं है।रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, झुंझुनू